शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 19/8/1980–कार्मिक–1

प्रेषक,

श्री राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1––शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव,

2––समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग– 1

अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के बारे में तथा अस्थायी ऐसे राज्याधीन कर्मचारी जो 3 वर्ष की अवधि से अधिक निरन्तर कार्यरत रहते चले आ रहे हैं, को उल्लिखित क्रम में स्थायी किये जाने के बारे में सुस्पष्ट शासनादेश कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते रहे हैं और इन शासनादेशों का पूरा सैट शासनादेश संख्या 19/5/79–कार्मिक–1, दिनांक 30 मार्च, 1979 के साथ संलग्न कर भेजा गया है । इसके बाद दिनांक 28–11–79 को भी इसी विषय पर नीति विषयक सुस्पष्ट आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने के साथ ही शासन का यह भी निर्णय है कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो 3 वर्षों से अथवा इससे अधिक अवधि से अस्थायी चले आ रहे हैं और तैनाती की तिथि से निरन्तर कार्य कर रहे हैं उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद नीचे लिखी सुविधाएं प्रदान कराई जायं:––

शर्तें––(1) कर्मचारी की मूल नियुक्ति भर्ती के प्रासंगिक नियमों/विधिवत् प्रशासकीय आदेशों के अनुसार नियमित रूप से (तदर्थ नहीं) हुई हो तथा वह विधिवत् स्वीकृत संवर्गीय (सैंक्शण्ड काडर स्ट्रेन्थ) स्थाई अथवा अस्थायी पद पर कार्यरत हों एवं उसकी नियुक्ति संविदा के आधार पर न हुई हो,

(2) कर्मचारी का कार्य, आचरण संतोषजनक रहा हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा उसके विरुद्ध निलम्बन एवं कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि न रही हो ।

सुविधाएं––(1) ऐसे समस्त अस्थाई कर्मचारी (जो उपर्युक्त शर्तों को सन्तुष्ट करते हों) की सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने अथवा सेवा निवृत्त पर उसी दर पर और उसी सीमा तक ग्रेच्युटी दी जायेगी जिस दर पर स्थाई कर्मचारियों के मामलों में यू0पी0 रिटायरमेन्ट बनीफिट्स रूल्स 1961 के अन्तर्गत डेथ-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी देय होती है । इस प्रकार देय ग्रेच्युटी में से सरकारी दयों तथा सरकारी अग्रिमों की वसूली भी उसी प्रकार की जा सकेगी जैसी कि स्थाई कर्मचारियों के मामलों में डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी से की जाती है । अस्थाई कर्मचारियों की सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने अथवा अतिवयता आयु प्राप्त कर लेने पर ग्रेच्युटी दिये जाने अथवा अतिवयता आयु प्राप्त कर लेने पर ग्रेच्युटी दिये जाने से सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी–2–376/दस–907/62 दिनांक 13 अगस्त, 1964 तथा संख्या जी–2–226–दस–911–65 दिनांक 8 अगस्त, 1966 एतद्द्वारा संशोधित समझे जायेंगे ।

(2) ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को गृह निर्माण, वाहन क्रय के ऋण प्राप्ति की सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायें जो अन्य स्थायी कर्मचारियों को निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार दी जाती हैं । ऋण की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्थायी कर्मचारी की श्योरिटी भी देनी होगी तथा ग्रच्युटी की धनराशि तभी देय होगी जब कोई सरकारी बकाया न हो ।

(3) ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के ही समान एवं स्थायी कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों के साथ एक साल तक की चिकित्सा अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जायगी ।

(4) ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो अपने पैतृक विभाग के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित किये जाते हैं या प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं या वाह्य सेवा पर तैनात किये जात ह, को अधिक से अधिक कुल तीन वर्षों की ऐसी तैनाती की सुविधा दी जा सकती है और इस अवधि में अस्थायी कर्मचारियों को अपने मूल पद पर वापसी का हक होगा इसक साथ ही साथ यह शर्त भी निभानी होगी कि पैतृक विभाग एसे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति, तैनाती या वाह्य सेवा की अवधि म सीधी भर्ती से किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं करेंग बल्कि यदि विशिष्ट आवश्यकता हुई तो निचले संवर्ग से स्थानापन्न प्रोन्नति दकर काम चलायगे (आयोग की परिधि वाले पदों पर आयोग की अनुमति लकर) और तीन वर्ष या उससे कम अवधि में जैसे ही बाहर

गया कर्मचारी पैतृक विभाग में लौटेगा, यह व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी । इस बारे में यह शर्त भी अपनाई जानी होगी कि पैतृक विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी तथा तैनात विभाग के विभागाध्यक्ष इस तरह की तैनातियों के लिए पहले से ही एक मत हों । इस प्रसंग पर पूर्व में जारी किये गये आदेश इस अंश तक संशोधित समझे जायेंगे ।

यह आदेश वित्त एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

राम बहादुर सक्सेना
मुख्य सचिव ।

संख्या 19/8/1980 (1)--कार्मिक--1 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

सैयद मेहदी हसन रिजवी,
सचिव ।

10 एस0 यू0 पी0--ए0पी--13 (सा0 नियुक्ति) 8-9-80-18:9-1980-8,500 (हिन्दी) ।